बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

सं० सं०–01/स्था०राज०–326/2025–.............. /पटना दिनांक– मार्च, 2025

बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 69वीं० संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ईख सेवा के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल–9 (53,100–1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ईख पदाधिकारी के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्मतिथि	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	324695	**सुश्री शिवांगी पाण्डेय,** पिता–श्री अजय कुमार पाण्डेय पता–खाता संख्या–271, हरनी चक, अनिसाबाद, पटना, बिहार–800002	पटना	24.07.1998	82	01	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर
2	243833	**श्री शिव शंकर आजाद,** पिता–श्री रमेशचन्द्र प्रसाद, पता–चाँदपुर बेला, गया लाईन रोड, दिवाकर मेडिकल हॉल के पीछे, पो०–जी०पी०ओ०, थाना–जक्कनपुर, पटना, बिहार–800001	पटना	25.08.1996	389	02	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज (बिपार्ड में योगदान की तिथि दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से)

2. चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त वर्णित अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जब तक कि प्रतिवेदन प्राप्त नही हो जाय।

3. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इनकी सेवा तत्काल के प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्व आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में नवनियुक्त ईख पदाधिकारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में नवनियुक्त ईख पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

6. वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–21.08.2005 एवं पत्रांक–768 पे.को. दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागु होगा।

7. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919 दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/ प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेंगे।

8. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा।

9. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नवनियुक्त ईख पदाधिकारी निश्चित रूप से अपना योगदान पदस्थापन कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि योगदान करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

11. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत है, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(अरूण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०राज०-326/2025- /पटना, दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०राज०-326/2025- /पटना, दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि- सुश्री शिवांगी पाण्डेय एवं श्री शिव शंकर आजाद, नव नियुक्त ईख पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-7ए/सं०(मु०) प्र०प०-01-04-2023(21) लो०से०आ०/गो० पटना दिनांक-19.12.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०राज०-326/2025- /पटना, दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड), फुलवारीशरीफ, पटना/निदेशक, एस0आर0आई0, पूसा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०राज०-326/2025- /पटना, दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि- मा0 मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक/मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रीमती शालीनता रानी, आई०टी०प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Signed by Arun Kumar
Date: 26-03-2025 17:22:42

अवर सचिव।